केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा संचालित विद्यालयों का समीक्षात्मक अध्ययन–उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले के संदर्भ में

राजेश कुमार श्रीवास्तव*

हर साल भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक स्कूल में नेताओं द्वारा भाषण दिया जाता है कि गुरु का स्थान भगवान से भी पहले आता है। लेकिन उस गुरु की दशा पर कोई भी नेता ध्यान नहीं देता है। वह उनकी दीन-दशा के बारे में जानते हुए भी लंबा-चौड़ा भाषण देता है। इस दिन अध्यापकों की स्थिति में परिवर्तन लाने वाली किसी नीति या कार्यक्रम की घोषणा भी नहीं की जाती है। इस अध्ययन में शोधकर्त्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा मान्यता-प्राप्त स्कूलों की दशा का समीक्षात्मक अवलोकन किया गया है। इन स्कूलों की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 को सही संदर्भ में लागू नहीं कर रहे हैं।

प्रस्तावना

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विकास कई वर्षों के लंबे प्रयास का प्रतिफल है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ़ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का गठन सन् 1921 में हुआ, जिसका अधिकार क्षेत्र राजपूताना, मध्य भारत और ग्वालियर था। संयुक्त प्रांतों की सरकारों के प्रतिनिधित्व के फलस्वरूप भारत सरकार ने सन् 1929 में सभी क्षेत्रों के लिए संयुक्त बोर्ड गठन करने की सलाह दी, जिसका नाम बोर्ड ऑफ़ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, राजपूताना रखा गया। इस बोर्ड में अजमेर, मेरवाड़, मध्य भारत और ग्वालियर के क्षेत्र शामिल थे।

बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के विकास व विस्तार का साक्षी था। इसके साथ ही बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता का ध्यान रखा। लेकिन

* *प्रवक्ता* (बी.एड. संकाय), श्री वंशी बाल गोपाल महाविद्यालय, सगरा–राजूपुर, पोस्ट सम्मनपुर, जिला–गाज़ीपुर, (उ.प्र)

जैसे ही राज्य विश्वविद्यालयों और राज्य बोर्डों का गठन देश के सभी कोने में होने लगा, बोर्ड ऑफ़ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड, अजमेर व भोपाल तक ही सीमित रहा तथा बाद में विंध्य प्रदेशों तक फैल गया। इसी के परिणामस्वरूप संविधान ने सन् 1952 ई. में बोर्ड के अधिनियमों में सुधार किये, जिसमें बोर्ड को क्षेत्र पार्ट–सी और पार्ट–डी तक सीमित रखा गया तथा बोर्ड का वर्तमान नाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रखा गया। सन् 1962 में बोर्ड का दोबारा गठन किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य थे –

- शिक्षण संस्थानों को प्रभावशाली ढंग से संचालित करना।
- उन छात्रों की शिक्षा की ज़िम्मेदारी लेना, जिनके अभिभावक केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं में सेवारत् हैं और जिनका सेवा में अधिकतर स्थानांतरण होता है।

बोर्ड का अधिकार क्षेत्र

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विस्तार व फैलाव राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर भी है। सन् 1962 ई. में बोर्ड गठन के परिणामस्वरूप, दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विलय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हो गया। इस प्रकार दिल्ली बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त सभी शिक्षण संस्थान केंद्रीय बोर्ड के भाग हो गये। इसके बाद सभी केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरूणाचल प्रदेश व सिक्किम में स्थित विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली के द्वारा संचालित स्कूल हो गये। वर्तमान में झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों ने भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यताप्राप्त कर ली। सन् 1962 में बोर्ड के मान्यताप्राप्त स्कूलों की संख्या 309 थी जो मार्च 2007 तक यह संख्या बढ़कर 8979 हो गई। बोर्ड के 141 स्कूल देश के बाहर स्थित हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त 897 केंद्रीय विद्यालय, 1761 सरकारी विद्यालय, 5827 स्वतंत्र विद्यालय, 480 जवाहर नवोदय विद्यालय तथा 14 केंद्रीय तिब्बती विद्यालय हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त संचालित स्कूलों के प्रभावशाली क्रियान्वयन व सफल संचालन हेतु बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना देश के विभिन्न भागों में की है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद, अजमेर, चेन्नयी, गुवाहाटी, पंचकुला और दिल्ली में हैं। देश के बाहर स्थित स्कूलों की देख–रेख दिल्ली कार्यालय करता है। क्षेत्रीय कार्यालयों के क्रियाकलापों व देख–रेख की ज़िम्मेदारी मुख्यालय की है। यद्यपि क्षेत्रीय कार्यालयों को पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं। नीति–निर्धारण जैसे मुद्दों को मुख्यालय को सौंपा जाता है। प्रशासन, स्कूल अंतःक्रिया, परीक्षा संबंधी प्रबंधन व रोज़मर्रा के क्रियाकलाप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निपटाए जाते हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्ववित्तपोषित संस्था है, जो केंद्र सरकार की सहायता के बिना अपने खर्चों का स्वयं निर्वहन करती है। बोर्ड अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वार्षिक परीक्षा फ़ीस, मान्यता फ़ीस, पी.एम.टी. प्रवेश फ़ीस, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा फ़ीस तथा बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकें व जर्नल आदि का प्रयोग करता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं –

- परीक्षाओं का निर्धारण करना और दसवीं तथा बारहवीं परीक्षाओं के बाद सरकारी परीक्षाओं का संचालन करवाना। मान्यताप्राप्त सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के प्रमाण-पत्रों का विस्तारण करना।
- उन शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करवाना जिनके अभिभावकों का नौकरियों में स्थानांतरण अधिक होता है।
- परीक्षाओं के पाठयक्रमों का समय-समय पर नवीनीकरण करना।
- परीक्षा हेतु संस्थानों को मान्यता देना और देश की शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना।

बोर्ड के सर्वोत्तम केंद्र बिंदु निम्नवत्‌ हैं-

- शिक्षण—अधिगम प्रविधियों में नयी तकनीकों का समायोजन, छात्र-मित्र कार्यक्रम द्वारा करना और छात्र केंद्रित प्रतिरूप के द्वारा करना।
- परीक्षाओं के मूल्यांकन में सुधार।
- नौकरी केंद्रित प्रतिभाओं का विकास व व्यवस्थापन करवाना।
- अध्यापकों व प्रशासकों की शिक्षण प्रतिभाओं को नियमित तौर पर वर्कशॉप, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से अद्यतन करना।

अध्ययन की आवश्यकता

शोधकर्ता स्वयं सन्‌ 1996 से प्राइवेट सीबीएसई विद्यालयों में पढ़ा रहा था। कभी-कभी मौका मिलने पर वर्तमान समय में भी इनकी कार्यशैली को स्वयं जाकर आकलन करने की कोशिश करता है। कुछ कार्यप्रणालियों के बारे में अन्य अध्यापकों से अंत:क्रिया के द्वारा शोधकर्ता को पता चला है कि इन स्कूलों द्वारा तरह-तरह से अध्यापकों, छात्रों व अभिभावकों का उत्पीड़न किया जाता है। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 पास किया गया, जिसमें हरेक छात्र/छात्रा को शिक्षा देने की बात की गयी। लेकिन शिक्षा देने के नाम पर इन मान्यताप्राप्त विद्यालयों का खेल धनउगाही हेतु किया जा रहा है जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 की पोल खोल रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जाति के आधार पर 25 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गयी है। लेकिन यह आरक्षण इतने आंदोलनों के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने इस विषय का चयन किया।

शोध शीर्षक

''केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा संचालित विद्यालयों का समीक्षात्मक अध्ययन-उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले के संदर्भ में।''

अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य

वर्तमान परिदृश्य में अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रबंधकों की शिक्षा के संबंध में अध्ययन करना।
- सी.बी.एस.ई. विद्यालयों द्वारा समाज के विभिन्न वर्ग द्वारा किये गये आर्थिक उत्पीड़न का समीक्षात्मक अध्ययन करना।
- सी.बी.एस.ई. विद्यालयों में कार्यरत्‌ शिक्षकों की प्रशिक्षण, कार्यशैली, वेतन आदि का आलोचनात्मक अध्ययन करना।
- सी.बी.एस.ई. विद्यालयों द्वारा अध्यापकों को

दी जा रही सुविधाओं जैसे–ई.पी.एफ., वेतन, मेडिकल आदि का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

- सी.बी.एस.ई. द्वारा दसवीं कक्षा को गृह–परीक्षा दिये जाने के कारण होने वाले नुकसान का आलोचनात्मक अध्ययन करना।
- सी.बी.एस.ई. द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के कार्य–सुधार के लिए चलायी जा रहीं वर्कशॉप, ओरिएंटेशन कक्षाएँ आदि का अध्ययन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन अवलोकन व साक्षात्कार के आधार पर किया गया है। अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर जिले के ग्यारह मान्यताप्राप्त सी.बी.एस.ई. स्कूलों के अध्यापकों तथा अभिभावकों को न्यादर्श हेतु चुना गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों की कार्यशैली पर गहन चिंतन व आलोचनात्मक समीक्षा की गयी।

सी.बी.एस.ई. विद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा के संबंध में संपूर्ण अवलोकन व साक्षात्कार का गहन अध्ययन कर शिक्षा संबंधी विचारों पर चिंतन और चिंतन की आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की। सी.बी.एस.ई. द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों द्वारा किये गये सामाजिक शोषण आज की ज्वलंत समस्याओं में से एक है जिसका हल ढूँढा जाना अत्यंत आवश्यक है।

न्यादर्श के लिए चयनित गाज़ीपुर जिले के स्कूलों का विवरण

1.	सनबीम स्कूल, महाराजगंज, गाज़ीपुर
2.	शाह फैज़ स्कूल, गाज़ीपुर
3.	तूलिका स्कूल, गाज़ीपुर
4.	एम.जे.आर.पी. स्कूल, गाज़ीपुर
5.	माधाव सरस्वती स्कूल, गाज़ीपुर
6.	गौरी शिक्षा निकेतन स्कूल, गाज़ीपुर
7.	क्रिसेन्ट कांवेंट स्कूल, दिलदारनगर, गाज़ीपुर
8.	राज पब्लिक स्कूल, गाज़ीपुर
9.	सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जमानिया, गाज़ीपुर
10.	सन शाइन पब्लिक स्कूल, जमानिया, गाज़ीपुर
11.	सन फ्लावर स्कूल, नन्दगंज गाज़ीपुर

मुख्य परिणाम

1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा संचालित स्कूलों के प्रबंधकों की शिक्षा के संबंध में यह पाया गया कि 90 प्रतिशत संचालक शिक्षित हैं, लेकिन उनके अंदर शैक्षिक आदर्श की कमी है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि वे एक पूँजीपति हैं, जिसमें उन्हें अधिक से अधिक धनउगाही करनी है।
2. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा प्रत्येक सत्र में फ़ीस बढ़ाई जाती है। इन्हें पता है कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, जिसके कारण छात्रों की फ़ीस में बढ़ोत्तरी करना आवश्यक है। लेकिन अध्यापकों के वेतन की बढ़ोत्तरी पर इनका ध्यान नहीं जाता है। शिक्षकों को वेतन के नाम में प्रति माह दो हज़ार से दस हज़ार रुपये तक

ही दिये जाते हैं। प्रबंधकों द्वारा वेतन का भुगतान प्रत्येक महीने 10 या 15 तारीख को होता है। यह वेतन भुगतान 10 या 15 तारीख को इसलिए किया जाता है कि अगर अध्यापक विद्यालय की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसका आधा महीने का वेतन इनके द्वारा न दिया जाये। कहीं-कहीं तो एक महीने का अग्रिम वेतन जमा के तौर पर विद्यालय में रखा जाता हैं ताकि शिक्षक आसानी से कार्यमुक्त होकर दूसरे विद्यालय में न जा सके।

शिक्षकों को 14 दिन की आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान है। लेकिन इस छुट्टी के लिए शिक्षक को प्राचार्य/प्रबंधक के विशेष अनुमति की ज़रूरत होती है, जो शायद ही शिक्षक को आसानी से मिल पाती है। शिक्षक यदि किसी कारणवश बिना अनुमति के छुट्टी लेकर जाता है तब उसका एक दिन के बजाय दो दिन का वेतन काट लिया जाता है। यह व्यवस्था प्रतिष्ठित मान्यताप्राप्त स्कूलों जैसे- सनबीम ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स में है, जिसके लगभग 20 से अधिक विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में चलते हैं। इस छुट्टी का नाम एल-2 संस्था द्वारा दिया गया है।

यहाँ तथा अन्य स्कूलों में भी एक दिन की छुट्टी के बजाय चार दिन का वेतन काटा जाता है, जिसे एल-4 नाम दिया गया है। शिक्षक से छुट्टी के समय का पूरा काम करना पड़ता है, वह भी बिना वेतन के। अगर अध्यापक बिना आज्ञा के 15 दिन की छुट्टी पर चला जाता है तो उसका उस महीने का वेतन ही नहीं बनता है। ये विद्यालय शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ भी नहीं जानते और अपने-अपने अनोखे तरीके से शोषण करते हैं। इन संस्थानों को आर्टिकल 23 तथा 24 में शामिल शोषण के विरुद्ध अधिकार का भी ज्ञान नहीं है। प्रत्येक सत्र में फ़ीस बढ़ोत्तरी व ड्रेस बदलने का मामला, किताब बदलने का मामला आदि जिलाधिकारी के पास पहुँचता है, साथ-साथ अखबारों द्वारा भी प्रकाशित होता है। आखिरकार बिना किसी कार्यवाही के अधिकारी विवश होकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं।

3. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों का वेतन भुगतान पंजिका तथा अध्यापक उपस्थिति पंजिका अलग-अलग हैं। वेतन भुगतान पंजिका सी.बी.एस.ई. बोर्ड को दिखाने के लिए अलग है, इसमें सी.बी.एस.ई. मानक के हिसाब से वेतन दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर पर इनके व्यक्तिगत वेतन पंजिका में दो हज़ार से चार हज़ार तक के वेतन का भुगतान किया जाता है। अध्यापक उपस्थिति पंजिका पर भी कुछ इसी तरह का खेल होता है। सी.बी.एस.ई. बोर्ड भेजने के लिए अलग शिक्षक उपस्थिति पंजिका तथा वास्तव में शोषण के लिए बनाए गए अर्थात् रोज अध्यापक को बदले गए/निकाले गए, के लिए अलग अध्यापक उपस्थिति पंजिका। अर्थात् 'हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और'।

4. सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के 90 प्रतिशत विद्यालयों में प्रवेश ले चुके छात्रों से प्रत्येक सत्र में पुनः प्रवेश के नाम पर लाखों रुपये वसूले जाते हैं, अर्थात् इन स्कूलों में प्रत्येक वर्ष प्रवेश शुल्क वसूला जाता है। प्रबंधकों को इतना पता नहीं कि किसी भी संस्था में प्रवेश एक बार होता है तथा प्रवेश-शुल्क भी सिर्फ एक बार लिया जाता है, लेकिन इनके द्वारा हर एक सत्र में प्रवेश-शुल्क लिया जाना सरासर मनमानी और आर्थिक शोषण है।
5. सी.बी.एस.ई. विद्यालयों में किन्डरगार्डन, नर्सरी, एल.के.जी., यू.के.जी. कक्षाओं का संचालन होता है, जिसकी फ़ीस भी प्रतिमाह चार सौ से छः सौ रुपये तक ली जाती है और दसवीं-बारहवीं पास शिक्षिकाओं को पंद्रह सौ से दो हज़ार रुपया प्रति माह वेतन देकर पढ़वाया जाता है। इन कक्षाओं द्वारा समाज का आर्थिक शोषण इन विद्यालयों द्वारा खूब होता है।
6. सी.बी.एस.ई. के 90 प्रतिशत विद्यालयों में अभिभावकों द्वारा किसी कारणवश फ़ीस विलंब से जमा करने पर ऐसे छात्रों को कक्षा से बाहर किसी खाली कक्ष में बिना अध्यापक के बैठा दिया जाता है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 की पोल उजागर करता है। अभिभावकों को यह पता होता है कि छात्र स्कूल गया है, कक्षा में पढ़ रहा होगा लेकिन अभिभावक को क्या पता कि एक-दो दिन विलंब से फ़ीस जमा होने के कारण उनका छात्र/छात्रा कक्षा से बाहर कहीं अकेले में स्कूल की परिधि में बैठा है। फ़ीस विलंब से जमा करवाने पर विलंब शुल्क भी अभिभावकों से 50 से 100 रुपये तक लिये जाते हैं। कुछ विद्यालयों द्वारा छात्रों को स्कूल में विलंब से पहुँचने के कारण विलंब-शुल्क लिया जाता है।
7. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के प्रावधान के अनुसार किसी संस्था में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी होने पर कर्मचारी भविष्य निधि उस संस्था पर लागू होगी जिसमें कर्मचारी की सकल आय का 12 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी को अपने ई.पी.एफ. खाते में तथा शेष 12 प्रतिशत हिस्सा संस्था द्वारा कर्मचारी के ई.पी.एफ. खाते में भुगतान करना होता है। इस प्रकार निजी संस्था के कर्मचारी को 12 प्रतिशत सहायता संस्था से तथा सरकार द्वारा जमा राशि पर ब्याज दर कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर प्राप्त होती है। इसमें पेंशन स्कीम भी कर्मचारी के भविष्य के फायदे हेतु होती है। लेकिन सी.बी.एस.ई. विद्यालयों द्वारा शिक्षकों व कर्मचारियों की भविष्य निधि पर भी बड़ा खेल होता है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत वेतन का 12 प्रतिशत भुगतान संस्था का कर्मचारी करेगा तथा 12 प्रतिशत भुगतान संस्था करेगी लेकिन इन प्रबंधकों द्वारा सभी कर्मचारियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं की है और जिन पर लागू भी की है तो वे कर्मचारी के वेतन से 24 प्रतिशत कटवाकर यह व्यवस्था लागू रखी है। अर्थात् स्कूल की सहभागिता भी अध्यापक के वेतन से काटा जाता है।

8. सी.बी.एस.ई. के 99 प्रतिशत विद्यालयों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) की किताबों को पाठ्यक्रम के रूप में नहीं लगाया जाता है। इन किताबों पर विद्यालयों को कमीशन प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए ये विद्यालय गैर–सरकारी प्रकाशकों द्वारा मुद्रित किताबों को विद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में लगवाते हैं, ताकि इनको मोटा कमीशन मिल जाये।
9. सी.बी.एस.ई. द्वारा मान्यताप्राप्त 70 प्रतिशत स्कूलों में खेल व पुस्तकालय घंटी/अवधि का प्रयोग होता है लेकिन पाठ्यक्रम अपूर्ण होने की दशा में इस घंटी/अवधि को पाठ्यक्रम पूरा होने में प्रयोग किया जाता है।
10. इन स्कूलों की फीस हर एक सत्र में बढ़ाई जाती है, जिसके कारण अभिभावकों को मानसिक दबाव से गुज़रना पड़ता है। इन स्कूलों द्वारा प्रति माह 1200 से 2000 रुपये तक की फ़ीस वसूली जाती है जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम–2009 का उल्लंघन है।
11. सी.बी.एस.ई. स्कूलों में 50 प्रतिशत अध्यापक अप्रशिक्षित और 50 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित पाये गए। अप्रशिक्षित अध्यापक इन स्कूलों को सस्ते वेतन में उपलब्ध हो जाते हैं।
12. सी.बी.एस.ई. स्कूलों के प्रबंधकों/प्राचार्यो द्वारा प्रचार–प्रसार के नाम पर आकर्षित विज्ञापन जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, कक्षा–कक्ष में ए.सी. की व्यवस्था, खेल का मैदान, कक्षा–कक्ष में कंप्यूटर, स्वीमिंग पूल आदि अभिभावकों को गुमराह करने की नीयत से दिखाये जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनके विज्ञापन की 50 प्रतिशत बातें झूठी पायी जाती हैं।
13. सी.बी.एस.ई. द्वारा हाई स्कूल को गृह परीक्षा किये जाने के कारण शिक्षा माफ़ियाओं की वृद्धि हुई है। दसवीं कक्षा में परीक्षाओं के नाम पर एफ़-ए. 1, एफ़.ए.-2, एस.ए. -1, एस.ए.-2 आदि को स्कूल पंजिका व कंप्यूटर में चढ़ाकर सभी स्कूलों की परीक्षा में 100 प्रतिशत परीक्षाफल घोषित कर दिया जाता है। दसवीं कक्षा को गृह–परीक्षा किये जाने का प्रभाव ज़रूर कहीं न कहीं अवश्य पड़ा है। इन्हीं स्कूलों के दसवीं कक्षा के छात्रों का बारहवीं कक्षा में जाने पर, इनका परीक्षा परिणाम 3 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गृह–परीक्षा व सी.बी.एस.ई. बोर्ड द्वारा करायी गई परीक्षा में कितना अंतर है, जो कहीं न कहीं शिक्षा माफियाओं को दसवीं की सी.बी.एस.ई. का प्रमाणपत्र आसानी से उपलब्ध कराने में गृह–परीक्षा मददगार साबित हुई है।
14. सी.बी.एस.ई. के 99 प्रतिशत स्कूलों द्वारा अध्यापकों के कक्षा कक्ष में बेहतर प्रदर्शन करने हेतु ऑरिएंटेशन कक्षाएँ, वर्कशॉप आदि नहीं करवाये जाते हैं, जिससे शिक्षक अपने शिक्षण क्षेत्र में अच्छा कर सकें।
15. मान्यता है कि कोई भी नवीन कार्य प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना अवश्य की जाती है, लेकिन इन सी.बी.एस.ई. स्कूलों द्वारा परीक्षा/टेस्ट के समय प्रार्थना ही नहीं करवायी जाती है। प्रार्थना से छात्रों

में विभिन्न मूल्यों का विकास होता है। ये स्कूल भारतीय संस्कृति से हमारे छात्रों को विमुख करके कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का बीज बोने का काम अवश्य कर रहे हैं।

16. सी.बी.एस.ई. छात्रों का बैग-भार बढ़ रहा है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है लेकिन छात्रों के बैग के भार को कम करने की दिशा में बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता।
17. सी.बी.एस.ई. स्कूलों द्वारा एक शिक्षक को 7 पीरियड दिये जाते हैं, जिसमें उसे कक्षा में खड़ा होकर पढ़ाना पड़ता है, यह अच्छा भी है, इससे अध्यापकों की छात्रों पर निगाह रहती है। कहीं-कहीं तो कक्षा में टेबल रखा जाता है, ताकि अध्यापक चॉक, डस्टर व अन्य शिक्षण उपकरण उस पर रख सके, लेकिन 50 प्रतिशत स्कूलों की कक्षाओं में टेबल व कुर्सी कुछ भी नहीं होतीं। यह इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षक कक्षा में बैठ न जाये। यह सब देखकर छात्र भी स्कूल के व्यवहार से स्तब्ध रह जाते हैं और वे अध्यापक को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देखते हैं।
18. एक-दो मान्यताप्राप्त स्कूलों में यह पाया गया कि शिक्षकों व छात्रों को अपनी बाइक व साइकिल आदि रखने हेतु 500 रुपये प्रति माह चुकाने पड़ते हैं। इस प्रकार छात्रों के साथ-साथ अध्यापकों का भी शोषण होता है।
19. 80 प्रतिशत सी.बी.एस.ई. मान्यताप्राप्त स्कूलों द्वारा अमान्यताप्राप्त स्कूलों के छात्रों को दसवीं तथा बारहवीं कक्षा का फॉर्म भरवाकर परीक्षाएँ करवाई जाती हैं। इससे स्कूलों को मोटी रकम प्राप्त होती है।
20. 99 प्रतिशत स्कूलों में कार्य के प्रति उपयुक्त वातावरण, नौकरी के प्रति असुरक्षा का भाव, आर्थिक असुरक्षा, मेडिकल की सुविधाओं का अभाव, मेडिकल छुट्टी का न होना आदि असुरक्षा का माहौल उन्हें आए दिन तिल-तिल कर मार रहा है।
21. स्कूल एक गैर-लाभकारी संस्था है। लेकिन यही संस्थाएँ पूँजीपतियों को पैदा कर रही हैं। इन संस्थाओं के ऊपर आयकर भी नहीं लगाया जाता है चूँकि ये समाज को ऊपर उठाने में अपना सक्रिय योगदान देती हैं। अगर इन संस्थानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाये तो यह पाया जायेगा कि एक आयकर जमा करने वाला व्यक्ति वह सभी सुख-सुविधाओं की वस्तु, जैसे–वाहन, महँगे इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि अपनी पूरी नौकरी में नहीं पा सकता जितना कि इन संस्थानों के मालिक सिर्फ़ एक या दो वर्षों में प्राप्त कर लेते हैं।

निष्कर्ष

लेखक ने लोगों से वार्ता के दौरान सुना कि पब्लिक स्कूलों में आमदनी/कमाई अच्छी है क्यों न पब्लिक स्कूल खोल दिया जाये, जिसमें 1000 से 2000 रुपये प्रतिमाह तक तनख्वाह लेने वाले अध्यापक/अध्यापिकाएँ मिल जाएँगी। चूँकि हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी है कि इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। इस तरह के विचार इन संचालकों के मन में न उपजें, इसके लिए

सी.बी.एस.ई. को इन स्कूलों पर लगाम लगानी चाहिए। सी.बी.एस.ई. स्कूलों में इसी प्रकार शिक्षकों का शोषण हुआ तो आने वाले समय में ये स्कूल भी अपनी साख खो देंगे। सी.बी.एस.ई. बोर्ड का कार्य सिर्फ़ विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना मात्र ही न होकर, समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर इनकी कार्य प्रणाली में सुधार करवाना भी होना चाहिए। जिससे समाज के सभी वर्गो का शोषण बंद हो सके। इन स्कूलों पर सी.बी.एस.ई. बोर्ड द्वारा फ़ीस बढ़ोतरी, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित किताबों का प्रयोग, अध्यापकों के हितों की जाँच, नैक ग्रेडिंग भी की जानी चाहिए तथा ई.पी.एफ. का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए उचित निर्देश दिये जाने चाहिए। जिससे कि समाज के सभी वर्गों का उत्पीड़न बंद हो सके तथा आर्टिकल 21ए, आर्टिकल्स 23 तथा 24 का उल्लंघन बंद हो।

संदर्भ

कपिल, एच. के. 2001. *अनुसंधान विधियाँ, एकादश संस्करण.* एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा-282 004

पूर्व निदेशक (5 सितंबर 2013) एन.सी.ई.आर.टी., ''शिक्षक दिवस की सार्थकता'', *दैनिक जागरण,* पृ.10

त्रिपाठी, टी.पी. व त्रिपाठी, एन.एम. 2008. एन इंट्रोडक्शन ऑफ़ द स्टडी ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (प्रथम संस्करण), इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशंस, लॉ पब्लिशर्स, इलाहाबाद

www.CBSE.nic.in

www.epf india.gov.in/epf act 1952.pdf

www.mhrd.gov.in/rte